भारत सरकार

श्रम और रोजगार मंत्रालय

लोक सभा

अतारांकित प्रश्न संख्या 1160

सोमवार, 27 जुलाई, 2026 / 5 श्रावण, 1948 (शक)

गिग और प्लेटफॉर्म कामगारों के लिए सामाजिक सुरक्षा

1160. श्री कुलदीप इंदौरा:
श्रीमती संजना जाटव:
श्री बृजेन्द्र सिंह ओला:
श्री राहुल कस्वां:

क्या **श्रम और रोजगार** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार ने देश में नियोजित गिग और प्लेटफॉर्म कामगारों की संख्या, उनकी कार्य स्थितियों, आय, सामाजिक सुरक्षा और रोजगार की स्थिरता का आकलन करने के लिए कोई राष्ट्रीय सर्वेक्षण आयोजित किया है;

(ख) यदि हां, तो विशेषकर भरतपुर लोक सभा निर्वाचन क्षेत्र सहित तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या सरकार ने गिग और प्लेटफॉर्म कामगारों को सामाजिक सुरक्षा, दुर्घटना बीमा, स्वास्थ्य बीमा, पेंशन, मातृत्व लाभ और अन्य श्रम अधिकार प्रदान करने के लिए कोई व्यापक राष्ट्रीय रूपरेखा तैयार की है और यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(घ) क्या सरकार ने डिजिटल प्लेटफॉर्म कंपनियों द्वारा एल्गोरिदम-आधारित कार्य आवंटन, आय निर्धारण, प्रोत्साहन, खाता निलंबन और शिकायत निवारण तंत्र की पारदर्शिता के संबंध में कोई अध्ययन किया है और यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ङ) क्या सरकार का विचार गिग और प्लेटफॉर्म कामगारों के लिए एक राष्ट्रीय सामाजिक सुरक्षा रूपरेखा लागू करने तथा ई-श्रम पोर्टल के माध्यम से उनका पंजीकरण और लाभ का वितरण सुनिश्चित करने का है और यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

उत्तर

श्रम और रोजगार राज्य मंत्री

(सुश्री शोभा कारान्दलाजे)

(क) से (ङ): नीति आयोग के जून, 2022 में प्रकाशित "इंडियाज बूमिंग गिग एंड प्लेटफॉर्म इकोनॉमी" शीर्षक वाली अपनी रिपोर्ट के माध्यम से एक अनुमान के अनुसार, वर्ष 2020-21 में देश में गिग कामगारों और प्लेटफॉर्म कामगारों की संख्या 7.7 मिलियन थी, जिसके वर्ष 2029-30 तक बढ़कर 23.5 मिलियन होने की अपेक्षा है।

देश में नियोजित गिग और प्लेटफॉर्म कामगारों की संख्या के अनुमान, उनकी कार्य-दशाओं, आय, सामाजिक सुरक्षा और रोजगार स्थिरता संबंधी कोई सर्वेक्षण रिपोर्ट उपलब्ध नहीं है।

जारी.../-2

पहली बार, 'गिग कामगारों' और 'प्लेटफ़ॉर्म कामगारों' की परिभाषा और उनसे संबंधित उपबंध सामाजिक सुरक्षा संहिता, 2020 में दिए गए हैं, जो दिनांक 21.11.2025 को प्रवृत्त हुई है।

यह संहिता गिग कामगारों और प्लेटफॉर्म कामगारों के लिए जीवन और निःशक्तता कवर, दुर्घटना बीमा, स्वास्थ्य और प्रसूति प्रसुविधा, वृद्धावस्था संरक्षण आदि से संबंधित मामलों पर उपयुक्त सामाजिक सुरक्षा योजनाएं तैयार करने का उपबंध करती है। यह संहिता इन कल्याणकारी योजनाओं के वित्तपोषण के लिए एक सामाजिक सुरक्षा निधि स्थापित करने का प्रावधान करती है। इस संहिता में गिग कामगारों और प्लेटफॉर्म कामगारों के कल्याण के लिए एक राष्ट्रीय सामाजिक सुरक्षा बोर्ड का गठन करने के उपबंध भी हैं।

इसके अतिरिक्त, दिनांक 08.05.2026 को अधिसूचित सामाजिक सुरक्षा (केंद्रीय) नियम, 2026, गिग और प्लेटफॉर्म कामगारों को औपचारिक सामाजिक सुरक्षा प्रदान करने की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम है। ये नियम केन्द्रीय सरकार के पोर्टल पर गिग और प्लेटफॉर्म कामगारों के पंजीकरण को अनिवार्य करके, एग्रीगेटर्स के लिए एप्लिकेशन प्रोग्रामिंग इंटरफेस (एपीआई) या अन्य इलेक्ट्रॉनिक माध्यमों से कामगार-संबंधी डेटा साझा करना अनिवार्य कर, सामाजिक सुरक्षा लाभों के लिए पात्रता मानदंड निर्धारित करके, और ऐसे कामगारों के लिए कल्याणकारी उपायों के संबंध में एग्रीगेटर्स की जवाबदेही को मजबूत करके संहिता के उपबंधों को क्रियान्वित करते हैं।

इस संहिता में समुचित सरकार द्वारा असंगठित, गिग और प्लेटफॉर्म कामगारों के लिए एक टोल-फ्री केंद्र, या हेल्पलाइन या सुविधा केंद्र स्थापित करने के उपबंध हैं। ये सुविधाएं उपलब्ध सामाजिक सुरक्षा योजनाओं की जानकारी का प्रसार करेंगी, पंजीकरण के लिए आवेदन पत्रों को भरने, संसाधित करने और अग्रेषित करने की सुविधा प्रदान करेंगी, पंजीकरण प्राप्त करने में सहायता करेंगी और पंजीकृत असंगठित कामगारों, गिग कामगारों और प्लेटफॉर्म कामगारों को सामाजिक सुरक्षा योजनाओं में नामांकित करने की सुविधा प्रदान करेंगी।

श्रम और रोजगार मंत्रालय ने प्लेटफॉर्म कामगारों, प्रवासी कामगारों आदि सहित असंगठित कामगारों का एक व्यापक राष्ट्रीय डेटाबेस बनाने के लिए दिनांक 26.08.2021 को ई-श्रम पोर्टल का शुभारंभ किया था। ई-श्रम पोर्टल का उद्देश्य स्व-घोषणा के आधार पर एक यूनिवर्सल एकाउंट नंबर (यूएएन) प्रदान करके असंगठित कामगारों को पंजीकृत करना और सहायता प्रदान करना है। श्रम और रोजगार मंत्रालय ने ई-श्रम- 'वन-स्टॉप-सॉल्यूशन' का भी शुभारंभ किया है जिसके तहत एक ही पोर्टल अर्थात ई-श्रम पोर्टल पर विभिन्न सामाजिक सुरक्षा/कल्याण योजनाओं का एकीकरण शामिल है। इसकी परिकल्पना ई-श्रम पर पंजीकृत प्लेटफॉर्म कामगारों सहित असंगठित कामगारों को सामाजिक सुरक्षा योजनाओं तक पहुँच प्राप्त करने और ई-श्रम के माध्यम से उनके द्वारा अब तक प्राप्त किए गए लाभों को देखने में सक्षम बनाने के लिए की गई है।

ई-श्रम पोर्टल पर पहले से पंजीकृत होने की स्थिति में प्लेटफॉर्म कामगारों को स्वयं को पंजीकृत करने या अपने व्यवसाय को अद्यतन करने की सुविधा प्रदान करने के लिए दिनांक 12.03.2025 को ई-श्रम पोर्टल पर प्लेटफॉर्म कामगारों के लिए एक सरलीकृत पंजीकरण मॉड्यूल का शुभारंभ किया गया है।
